महत्वपूर्ण /ई-मेल

संख्या- **1/2023/750/नौ-7-2023**

प्रेषक,

डा0 राजेन्द्र पैंसिया,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2023

विषयः राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत नगरीय निकायों की भूमियों पर किये गये अवैध कब्जों एवं भू-माफियाओं पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में सार्वजनिक भूमियों से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा एण्टी भू-माफिया अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान शासनादेश दिनांक 01.05.2017 से प्रारम्भ किया गया। एण्टी भू-माफिया अभियान की समीक्षा हेतु चार स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है- राज्य स्तरीय, मण्डल स्तरीय, जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय। राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन है। अन्य विभागों के साथ ही प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के सदस्य है। समय-समय पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती रहती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य विभाग की प्रतिभागिता होती है।

2. हाल ही में सम्पन्न राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमियों पर किये गये अवैध कब्जों एवं अवैध कब्जेदारों की सूचना आई0जी0आर0एस0 पोर्टल (एण्टी भू-माफिया पोर्टल) पर नगण्य है। भविष्य में राज्य स्तरीय एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक उच्च स्तर पर होने की सम्भावना है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त के संबंध में प्रत्येक नगरीय निकाय से यह अपेक्षा है कि वह अपने निकाय में सार्वजनिक भूमियों यथा-पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करें। यदि उन पर कोई अवैध अतिक्रमण है, तो उन्हें अतिक्रमण मुक्त करायें, अन्यथा की स्थिति में अवैध कब्जेदारों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए उसको आई0जी0आर0एस0 पोर्टल (एण्टी भू-माफिया पोर्टल) पर राजस्व विभाग के सहयोग से दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ संकलित सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 राजेन्द्र पैंसिया)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नगरीय निकायों में स्थित सरकारी भूमियों पर किये गये अवैध अतिक्रमण की सूचना का प्रारूप

क्र0सं0	नगरीय निकाय का नाम	ग्राम/मोहल्ला/वार्ड का नाम	भूमि की श्रेणी	खाता/गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	अतिक्रमित क्षेत्रफल	अतिक्रमणकर्ता का नाम	एण्टी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज संदर्भ संख्या	कृत कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
योग										

सरकारी भूमि का कुल क्षेत्रफल –
कुल अतिक्रमित क्षेत्रफल –
अवमुक्त कराया गया क्षेत्रफल –
अवशेष अतिक्रमित क्षेत्रफल –

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।